भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2736

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है ।

विकेंद्रीकृत सौर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

2736. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक, एडीबी, केएफडब्ल्यू, एएफडी जैसी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों ने विकेंद्रीकृत सौर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सीपीएसयू और उनके संयुक्त उपक्रम (जेवी)/सहायक कंपनियों को रियायती ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 नवंबर, 2022 तक स्वीकृत और उपयोग किए गए ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(घ) उपयोग में कमी के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या इन एजेंसियोंसे ऋण लेने का कोई क्या प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) ने विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रोयोगों के प्रयोजन से 'स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच' के वित्तपोषण हेतु केएफडब्ल्यू के साथ एक ऋण करार अर्थात् केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। करार की कुल संस्वीकृत राशि 20 मिलियन यूरो है। दिनांक 30 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जा चुका है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने, विकेन्द्रीकृत सौर तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए, बहुआयामी एजेंसी-एडीबी तथा द्विपक्षीय एजेंसी- केएफडब्ल्यू के साथ ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 'विकेन्द्रीकृत सौर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा स्मार्ट मीटरों' के लिए एडीबी के ऋण की कुल संस्वीकृत राशि 296 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया जा चुका है। 'विकेन्द्रीकृत सौर एवं प्रकाश व्यवस्था' के केएफडब्ल्यू के ऋण के लिए कुल संस्वीकृत राशि 200 मिलियन यूरो है। दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए 9 मिलियन यूरो का उपयोग किया जा चुका है।

(घ) : जहां तक कि आईआरईडीए का संबंध है, लाइन ऑफ क्रेडिट का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। ईईएसएल के संबंध में, एडीबी ऋण के मामले में दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया जा चुका है। केएफडब्ल्यू ऋण के मामले में, महाजेनको के लिए 279 मेगावाट विकेन्द्रीकृत सौर परियोजना की स्थापना से संबंधित परियोजना अब कार्यान्वयन हेतु अव्यवहार्य हो गई है।

(ङ) और (च) : इस समय, सौर तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के वित्तपोषण के लिए बहुआयामी/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों का प्रयोग करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

****